

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,
लखनऊ - 226010

संख्या- 105/15/कम्प्यूटर अनुभाग (बारह)/2023-25/03-परीक्षा/2023

लखनऊ : दिनांक : 18 जून, 2025

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा/2023, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा(प्रा०अ०प०-2022)/03 के अंतर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, के नियंत्रणाधीन दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी (डेंटल हाईजिनिस्ट) के रिक्त 264 पद (सामान्य चयन) +24 पद (विशेष चयन)= कुल 288 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा/आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 20.07.2023 थी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा दिनांक 05.01. 2025 को आयोजित की गयी थी।

सूच्य है कि आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 09 जून, 2025 द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी (डेंटल हाईजिनिस्ट) के रिक्त 288 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाये गये कुल 390 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कटऑफ अंक मा० आयोग के अनुमोदनोपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। उक्त आवश्यक सूचना में अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया गया था कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता / अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के अर्हता / अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम की सूचना यथासमय पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा/2023, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा(प्रा०अ०प०-2022)/03 के अंतर्गत अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाये गये कुल 390 अभ्यर्थियों का अर्हता / अभिलेख परीक्षण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्नानुसार आयोजित किया जाना निर्धारित है-

क्र.सं.	दिनांक	प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:00) अभ्यर्थियों की संख्या	द्वितीय पाली (अपराह्न 01:30) अभ्यर्थियों की संख्या	योग
1	05.07.2025	100	100	200
2	07.07.2025	100	90+ अनुपस्थित अभ्यर्थी	190
कुल योग				390

अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके Document Verification Letter व अन्य 04 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिये गए हैं। सम्बन्धित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए अपने Document Verification Letter व अन्य 04 प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाये गये समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अर्हता/ अभिलेख परीक्षण से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों/ अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों/ अभिलेखों से मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष समस्त अंकपत्र व प्रमाण पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों एवं उनकी छायाप्रतियों तथा पासपोर्ट साइज के 02 रंगीन फोटोग्राफ के साथ ही डाउनलोड किये गए Document Verification Letter व अन्य 04 प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों में वांछित प्रविष्टियां अंकित

अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके Document Verification Letter व अन्य 04 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिये गए हैं। सम्बन्धित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए अपने Document Verification Letter व अन्य 04 प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाये गये समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अर्हता/ अभिलेख परीक्षण से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों/ अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों/ अभिलेखों से मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष समस्त अंकपत्र व प्रमाण पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों एवं उनकी छायाप्रतियों तथा पासपोर्ट साइज के 02 रंगीन फोटोग्राफ के साथ ही डाउनलोड किये गए Document Verification Letter व अन्य 04 प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों में वांछित प्रविष्टियां अंकित

कर, निर्धारित तिथि व समय पर अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड इत्यादि) की मूलप्रति एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति अवश्य लेकर उपस्थित हों।

उक्त के साथ ही अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अर्हता / अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 07.07.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक आयोग कार्यालय में दी जाती है तो सक्षम स्तर से अनुमति के उपरान्त उसे दिनांक 07.07.2025 की द्वितीय पाली (अपराह्न 1:30 बजे) में अर्हता / अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके उपरान्त अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।


(अवनीश सक्सेना)

सचिव।

 